

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर- 492001

क्र: एफ 2-9/2008/1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2010

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(3)(छ:) के अंतर्गत छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों पर कार्यवाही बावत्।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावशील है तथा छ.ग. राज्य सूचना आयोग कार्यरत है। छ.ग. आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के अध्याय-छ: के बिन्दु क्रमांक-6 में सुझाव दिया गया है कि- "लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी, पर्याप्त वरिष्ठता के होने चाहिए।

सूचना आयोग के उक्त सुझाव के संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि- "विभिन्न लोक प्राधिकारी (Public Authority) अर्थात् मंत्रालय के विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर आदि के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नाम निर्दिष्ट समय विषय की महत्ता को देखते हुए उचित वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए"।

अतः उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित करें।

सही

(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2010

क्रमांक : एफ 2-9/2008/1-सूअप्र,

नपि :-

सचिव, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन